93

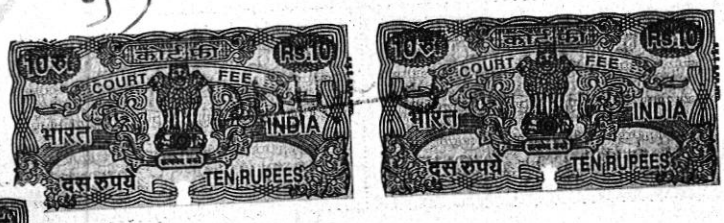

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. भारत COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

(1)

II/निगरानी/मुरैना/भू.रा/2017/4431

न्यायालय : मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर, म0प्र0।

प्रकरण क्रमांक : ..../2017–18

निगरानीकर्तागण– 1. नत्थी पुत्र श्री बद्री, आयु 59 साल,

2. रमेश पुत्र श्री बद्री, आयु 48 साल,

दोनों जाति किरार ठाकुर, व्यवसाय कृषि, निवासीगण ग्राम अलापुर, तहसील जौरा, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश।

विनोद कुमार धाकड़ अभि0 द्वारा आज दि. 14-11-17 को प्रस्तुत

14-11-17

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

रेस्पोडेन्ट 1. म0प्र0शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग जौरा, जिला मुरैना, म0प्र0।

पं0 दि0 21-11-17

<u>पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दि0 02.11.2017, जो कि प्रकरण क्र0/145/2017–18/अपील में अधीनस्थ अपील न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना, म0प्र0 द्वारा पारित किया गया है एवं जिसके द्वारा निगरानीकर्तागण की अपील को निरस्त करते हुये अधीनस्थ प्रथम अपील न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 13/2016–17/अपील में पारित आदेश दिनांक 22.09.2017 व अनुविभागीय अधिकारी जौरा के प्र0क्र0 01/2011–12/अ–68 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2017 को यथावत रखा गया है।</u>

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्तागण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–</u>

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार प्ररतुत हैः–

1. यह कि, निगरानीकर्तागण ग्राम अलापुर तहसील जौरा स्थित भूमि सर्वे नं0 1156 के भूमि स्वामी हैं तथा निगरानीकर्तागण के स्वत्व स्वामित्व की इस भूमि से लगी हुई शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1151/2 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा, सर्वे नं0 1153 रकवा 13 विस्वा व सर्वे नं0 1155 रकवा 4 विस्वा कुल रकवा 3 बीघा का विनिमय ग्राम नरहेला स्थित कृषि भूमि सर्वे नम्बर 446/2 रकवा 3 बीघा 5 विस्वा से कलेक्टर मुरैना के आदेश दिनांक 19.02.1990 द्वारा विधिविरुद्ध रुप से शिकायतकर्तागण बाबूलाल पुत्र पुरुषोतम, संतोषकुमार पुत्र कन्हैयालाल, महेश कुमार पुत्र बुद्धराम एवं जगदीश प्रसाद पुत्र

14.11.17
शाखा प्रभारी (रा.मं.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

......निरंतर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग—अ

प्रकरण कमांक दो—निगरानी / मुरैना / भू.रा. / 2017 / 4431

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12.1.2018	यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 145 / 17—18 अपील में पारित आदेश दिनांक 2—11—17 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 145 / 17—18 अपील में पारित आदेश दिनांक 2—11—17 के अवलोकन से परिलक्षित है कि ग्राम अलापुर तहसील जौरा की भूमि सर्वे कमांक 1156 आवेदकगण के स्वामित्व की है किन्तु इस भूमि में सर्वे कमांक 1152 की भूमि से होकर आना जाना होता है एंव सर्वे कमांक 1152 की भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज है जिसके अॅशभाग 0—031 है. पर आवेदक अतिकमण करके खेती कर रहे है जिससे आम रास्ता अवरूद्व हुआ है। आमनागरिकों की सुविधा वाधित होने के कारण हलका पटवारी ने तदाशय की रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत की, जिस पर आवेदकगण के विरूद्व प्रकरण कमांक 8 / 11—12 अ—68 पॅजीबद्व हुआ एंव जांच तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 14—11—11 पारित करके अतिकमण करना प्रमाणित होने पर रू. 1500 / — अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया तथा भूमि से बेदखली के आदेश दिये गये। अपीलांट्स व्दारा अतिकमण न हटाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी मुरैना ने आदेश दिनांक 22—3—17 सें बारन्ट जारी किया जाकर सिविल जेल की कार्यवाही की गई, जिसके विरूद्व आवेदकगण ने कलेक्टर मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की। कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण कमांक 13 / 16—17 अपील में पारित आदेश दि. 22—9—17	

से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 145/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 2–11–17 से अपील अस्वीकार की, जिसके विरूद्व यह निगरानी है।

4/ प्रकरण में आये तथ्यों से यह निर्विवाद है कि सर्वे कमांक 1152 की भूमि से आम नागरिकों का आना जाना होता है एंव यह भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज है जिसके ॲशभाग 0–031 है. पर आवेदकगण अतिकमण करके खेती कर रहे है जिससे आम रास्ता अवरूद्व हुआ है।

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 234 की टिप्पणी (ओ) में अंकित है कि :–

धारा 234 की टिप्पणी (ओ) – निस्तार पत्रक की प्रविष्टि का प्रभाव – निस्तार पत्रक में जिस भूमि को किसी विशेष प्रयोजन के लिये उपयोग किए जाने की प्रविष्टि हो उसे केवल उसी प्रयोजन के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है। किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह उस भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये कर सके। निस्तार पत्रक में सॅशोधन किये बिना उपयोग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। (राजा समीर सिंह विरूद्व अजीम बक्स 2006 रा0नि0 377 उच्च न्यायालय)

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 की उपधारा (1) में बताया गया है कि कलेक्टर दखलरहित भूमि को क से ट तक वर्णित प्रयोजनों के लिये सुरक्षित रख सकेंगे एंव **उपधारा (3) में वर्णित है कि परन्तु उपधारा (1) में वर्णित प्रयोजनों के लिये प्रथक रखी गई भूमि किसी भी व्यक्ति को कृषि प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित या आवंटित नहीं की जाएगी।** सर्वे कमांक 1152 की भूमि से आम नागरिकों के आने जाने हेतु आम रास्ते के उपयोग की है एंव राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 1/11–12 अ–68 में पारित आदेश दिनांक 22–3–17 में , कलेक्टर जिला मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 13/16–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–9–17 में अपर आयुक्त, चंबल संभाग,

मुरैना ने आदेश दिनांक 2–11–17 पारित करते समय हस्तक्षेप नहीं किया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालय व्दारा पारित आदेशों के निष्कर्ष समवर्ती प्रतीत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 145/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 2–11–17 उचित होने यथावत् रखा जाता है।

सदस्य